

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २०३ / अकादमी/चयन समिति/२०१२

भोपाल, दिनांक ०१/१२/१३

अधिसूचना

डी.सी.ए.वी. कालेज ओबेदुल्लागंज, रायसेन में व्याख्याता के पद पर चयन हेतु परिनियम २८ के प्रावधानान्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दि. २४-१२-२०१२ के कार्यवृत्त कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। चयन समिति की अनुशंसानुसार नियुक्ति हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार गुणानुक्रम में योग्य पाये गये हैं :-

क्र०	नाम एवं पता	जिस पद पर चयन हुआ	संकाय	चयन तिथि
०१	श्री राकेश कुमार साहू जी-१, कनक रेस्ट, कोलार रोड, भोपाल	व्याख्याता	शिक्षा संकाय	२४.१२.२०१२
०२	सुश्री रीना बुनकर साईकुटी १४ बी, शहनशाह गार्डन पंजाबी बाग, गोविन्दपुरा, भोपाल	व्याख्याता	शिक्षा संकाय	२४.१२.२०१२
०३	सुश्री तुहीना भाट्टाचार्य	व्याख्याता	शिक्षा संकाय	२४.१२.२०१२
०४	सुश्री कमलेश शर्मा ए-५६, कावेरी कालोनी, सी सेक्टर सर्वधर्म कोलार रोड, भोपाल	व्याख्याता	शिक्षा संकाय	२४.१२.२०१२
०५	सुश्री सरिता वर्मा १३५/९ए साकेत नगर भोपाल	व्याख्याता	शिक्षा संकाय	२४.१२.२०१२

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०१/१२/१३

पु.क्रमांक २१० / संभव प्रकोष्ठ/चयनसमिति/२०१२

प्रतिलिपि:-

- अध्यक्ष डी.सी.ए.वी. कालेज ओबेदुल्लागंज, रायसेन को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार चयनित संकायके प्राध्यापक के नियुक्ति पत्र जारी करे जिसमें उल्लेख करे कि :-
 - यह नियुक्ति म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिनियम क्र. २८ (कालेज कोड-२८) के तहत की गई है।
 - वेतनमान सेवा शर्तों एवं अवकाश इत्यादि का उल्लेख करे तथा नियुक्ति किये गये व्याख्याता के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं संबंधित व्याख्याता के प्रमाणित छायाचित्र चस्था कर सूची सात दिवस की समयवाधि में विश्वविद्यालय को प्रेषित करे।
- निजी नस्ती।
- आवश्यक सूचना : जो व्याख्याता नियुक्ति उपरांत छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सूचना विश्वविद्यालय में अवश्य उपलब्ध करावे, तथा रिक्त पद की पूर्ति हेतु पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करे।

उप-कुलसचिव, अकादमी